न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

अपील संख्या :–133/2020 निर्णय दिनांक :– 6.11.20

उनवान

1. श्रवण पुत्र पांचू
2. रामफूल पुत्र छोटू
3. रामावतार पुत्र किशनलाल

समस्त जाति बैरवा निवासी वार्ड न. 20 कस्बा चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0

––वादी

बनाम

1. प्रेम पुत्री रामू
2. हीरा पुत्री रामू
3. मन्ना पुत्री रामू
4. छोटा पुत्री रामू
5. मनभर पुत्री रामू
6. ममता पुत्री रामू

समस्त जाति बैरवा निवासी वार्ड न. 20 कस्बा चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।
8. उपपंजीयक कार्यालय शाखा चाकसू जिला जयपुर राज0

––अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार पेश किया कि प्रार्थीगण ने एक दावा आज मजबूत आधारो पर मान्य न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता की पूरी पूरी आशा है। प्रार्थीगण की पैतृक कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खाता संख्या 163 खसरा नंबर 576, 577, 588 कुल किता 03 कुल रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम रामनिवास पटवार हल्का रामनिवास तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में स्थित है। उक्त आराजी को ही इस प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। उपरोक्त परिवार खानदान स्व सेवाराम के जायन्दा वारिस एवं उत्तराधिकारी है। उक्त वारिसों के अलावा अन्य कोई वारिस एवं उत्तराधिकारी नही हैं। जो हिन्दू परिवार के सदस्य है। जिससे हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। क्योकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता संयुक्त परिवार में रहते हुये संयुक्त परिवार की आय से उक्त वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के पिता रामला उर्फ रामू के नाम अलाट करवाई गई थी। तब से ही प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। जिससे उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का जन्मजात हित निहित है। अप्रार्थीगण के पिता रामला उर्फ रामू पुत्र छोटु का देहान्त हो चुका है। वादग्रस्त आराजी की खातेदारी वर्तमान में अप्रार्थीगण के पिता स्व. रामला उर्फ रामू पुत्र छोटू के नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। मृतक रामला उर्फ रामू के विरासत का नामान्तकरण अभी तक नही खुला है इस कारण अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

संख्या 1 लगायत 06 को जायन्दा वारीस होने के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रारम्भ से लेकर अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के पिता रामला उर्फ रामू द्वारा दिनांक 01.04.2007 को 100/– रूपये के स्टाम्प पर आपसी समझौता लिखा गया था। जिसमें अलाटमेंट वाली वादग्रस्त आराजी को चारो भाईयों में चारो भाईयों रामू जी, रामावतार, रामफूल व श्रवण में आपस में बराबर–बराबर हिस्सों में बांट लेना तय हुआ था तथा अप्रार्थीगण के पिता रामू जी द्वारा आश्वस्त किया गया था कि जब भी चाहे उक्त आराजी भूमि अपने नाम करवा लेना तथा मौके पर सभी भाई बराबर बराबर हिस्सों पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे। उक्त समझौता पत्र समाज के मौजिज लोगो की मौजूदगी में लिखा गया था तथा उक्त समझौता पपर सभी भाईयों व समाज के लोगो के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी है। जिससे उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का जन्मजात हित निहित है। जिससे प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के पिता रामला उर्फ रामू के नाम वादग्रस्त आराजी में से प्रार्थी संख्या 01 को 1/4, प्रार्थी संख्या 02 को 1/4, प्रार्थी संख्या 03 को 1/4 हक व हिस्से की अपने नाम खातेदारी घोषणा करावे तथा अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें जिसके प्रार्थीगण कानूनन अधिकारी है। प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से ही वादग्रस्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। दिनांक 25.07.2020 को मिन अप्रार्थीगण आये और कहने लगे कि उक्त आराजी भूमि हमारे पिता जी स्व रामला उर्फ रामू के नाम है उक्त आराजी भूमि का विरासत का नामान्तकरण खुलवाकर उक्त

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

आराजी भूमि का बेचान हम दीगर व्यक्तियो को कर देंगे जो जबरन तुमसे कब्जा ले लेंगे तथा तब तक किसी को भी काश्त नही करने देंगे तुम चाहे सो कर लेना तथा कई तरह की धमकिया सरेआम देकर चले गये। अप्रार्थीगण की कार्यवाही को देखते हुये प्रार्थीगण के लिये आवश्यक हो गया कि वो वादग्रस्त आराजी स्व रामला उर्फ रामू के नाम दर्ज भूमि में से प्रार्थी संख्या 01 को 1/4, प्रार्थी संख्या 02 को 1/4, प्रार्थी संख्या 03 को 1/4 हक व हिस्से की खातेदारी की घोषणा करावे तथा अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वो वादग्रस्त आराजी पर से बेदखल नही करे न ही कब्जा करे, न ही मौके पर किसी भी तरह की दखलदांजी एवं मजाहमत करे, न तो ऐसा स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस बखुबी साबित है। सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है अगर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीगण को गम्भीर क्षति होगी जिसकी पूर्ति सम्भव नही हो सकेगी। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ता फैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण की पैतृक आराजी खाता संख्या 163 खसरा नंबर 576, 577, 588 कुल किता 03 कुल रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम रामनिवास पटवार हल्का रामनिवास तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेदखल नही करे न ही किसी अन्य को बेचान करे, नही कच्चा पक्का निमार्ण करे, न तो ऐसा स्वयं करे न ही अन्य किसी से करावें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थी नं 7 राजस्व रिकार्ड यथा स्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थी नं

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

8 वादग्रस्त आराजी से सबंधित कोई भी दस्तावेजात पंजीयन नही करें। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तो अप्रार्थीगण की तरफ से वकील हाजीर आया व प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र किया गया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी गयी , जवाब प्रार्थना पत्र इस प्रकार पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 प्रार्थीगण द्वारा गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत करना स्वीकार है जिसमें प्रार्थीगण कभी भी सफल नही हो सकते है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 मे वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड से सम्बधिंत है जो कि वर्तमान में खसरा नम्बर 576 रकबा 0.05 है0 व खसरा नंबर 577 रकबा 0.04 है0 भूमि गै0 मु0 आबादी में दर्ज है जो कि पूर्व में कृषि भूमि थी जिसको रामला उर्फ रामू ने अपने जीवनकाल मे कृषि भूमि से आवासीय में परिवर्तित करवाकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.05.2019 के द्वारा सत्यनारायण पुत्र दामोदर निवासी गुदलिया की ढाणी, शीतलामाता को बेचान कर दिया तथा विवादित भूमि पर सत्यनारायण पुत्र दामोदर ही काबिज व आबाद है। वाद पत्र का मद नंबर 3 सजरा खानदा से सम्बधिंत है जो कि गलत रूप से तहरीर व तकमील किया है इस मद में यह तथ्य स्वीकार है कि रामला उर्फ रामू की अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 जाईन्दा पुत्री सन्ताने है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार रामला उर्फ रामू की प्रथम श्रेणी की जायज वारिसान है। रामला उर्फ रामू कभी भी संयुक्त परिवार का सदस्य नही रहा है तथा शुरू से ही एकल परिवार का सदस्य रहा है तथा विवादित आराजी राजस्थान सरकार द्वारा उसके स्वयं के नाम से अलाट की गई है जो कि स्वयं की एकल स्वामित्व की सम्पत्ति है जिसमें

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार नही है ना ही कभी कब्जा रहा है शुरू से ही रामू ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहा था तथा उसमें मरने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ही उक्त विक्रयशुदा भूमि के अलावा शेष भूमि पर काबिज व आबाद है। प्रार्थना पत्र का मद नंबर 4 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है गलत होने से अस्वीकार है। रामू पुत्र छोटू ने अपने जीवनकाल मे उक्त भूमि मे से खसरा नम्बर 576 व 577 की भूमि को कृषि भूमि से अकृषि भूमि में परिवर्तित करवाकर सत्यनारायण पुत्र दामोदर जाति ब्राहमण निवासी गुदलिया की ढाणी, शीतलामाता तहसील चाकसू को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 2.05.2019 के द्वारा विक्रय पत्र दिया था जिसकी शुरू से ही जानकारी प्रार्थीगण को रही है तथा यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में स्वंय प्रार्थी संख्या 3 रामअवतार पुत्र किशनलाल बतौर गवाह उपस्थित रहे है तथा उक्त विक्रय पत्र दिनांक 25.05.2019 की प्रार्थीगण को पूर्ण जानकारी रही है इसके बावजूद भी प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में सत्यनारायण को बतौर पक्षकार संयोजित नही किया है केवल मात्र जमाबन्दी को आधार मानकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो कि उक्त भूमि मे प्रार्थीगण का कोई हक हकूक निहित नही है। जब रामू पुत्र छोटू ने अपने जीवनकाल में उक्त जमीन को सत्यनारायण शर्मा को बेचान कर दिया तो प्रार्थीगण किसी प्रकार का हक हकूक उक्त भूमि मे क्लेम नही कर सकते है क्योकि उक्त भूमि रामू पुत्र छोटू के एकल स्वामित्व की भूमि थी। विवादित भूमि पर सदैव से रामू पुत्र छोटू काबिज नही है तथा बैचान के पश्चात सत्यनारायण शर्मा काबिज व आबाद है प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है सारे तथ्य मनगढंत

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

दर्ज किये है। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 5 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है गलत होने से अस्वीकार है। रामला उर्फ रामू ने अपनी जीवनकाल मे तथाकथित रूप से दिनांक 01.04.2007 को कोई आपसी समझौता नही लिखा है ना ही कोई भूमि तथाकथित रूप से बराबर हिस्सो मे बटी हुई है आज भी भूमि पर अप्रार्थीगण व सत्यनारायण शर्मा ही काबिज व आबाद है तथाकथित इकरारनामा दिनांक 01.04.2007 फर्जी व कूटरचित हैं तथा ना ही रामू ने तथाकथित रूप से कोई इकरारनामा प्रार्थीगण के हक में बतौर समझौता तहरीर व तकमील किया है। ऐसी सुरत मे ऐसे अनरजिस्टर्ड व अपर्याप्त स्टाम्पित इकरारनामा से कोई हक हकूक प्रार्थीगण को प्राप्त नही होते है ना ही प्रार्थीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को कानूनन पाबन्द करवाने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 6 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है ना ही हक व हकूक किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण को प्राप्त है, विवादित आराजी पर रामू पुत्र छोटू का सदैव से कब्जा काश्त रहा था तथा अपने जीवनकाल मे उसके स्वंय के द्वारा खसरा नंबर 576 व 577 की भूमि का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.05.2019 द्वारा सत्यनारायण पुत्र दामोदर को बेचान कर दी थी, बेचान करने के समय से ही कयशुदा भूमि पर सत्यनारायण काबिज चला आ रहा है तथा शेष भूमि पर अप्रार्थीगण काबिज है। प्रार्थीगण ने जानबूझकर सत्यनारायण शर्मा को बतौर पक्षकार संयोजित नही किया है ऐसी सूरत में मिस ज्वाईडंर ऑफ पार्टीज के आधार पर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है तथा सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का मद नंबर 7

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

जिस प्रकार से तहरीर किया गया है गलत होने से अस्वीकार है। विवादित आराजी रामू पुत्र छोटू के एकल स्वामित्व की भूमि थी जो उसे राजस्थान सरकार द्वारा आवंटित की गई थी जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा शुरू से ही नही रहा है ना ही कभी कब्जा काश्त प्रार्थीगण का रहा है जब प्रार्थीगण का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है ना ही वाद लाने हेतु कोई वाद उत्पन्न होता है ऐसी सुरत में प्रार्थीगण विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में अपने हक में किसी प्रकार से तथाकथित रूपे घोषणा करवाने के अधिकारी नही है ना ही अप्रार्थीगण को किसी प्रकार से पाबन्द करवाने के अधिकारी है प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का मद नंबर 8 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है गलत होने से अस्वीकार है। विवादित आराजी रामू पुत्र छोटू के एकल स्वामित्व की भूमि थी जो उसे राजस्थान सरकार द्वारा आवंटित की गई थी जिसमे प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा शुरू से ही नही रहा है ना ही कभी कब्जा काश्त प्रार्थीगण का रहा है ऐसी स्थित में प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया केस नही बनता है। प्रार्थना पत्र का मद नंबर 9 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है गलत होने से अस्वीकार है जब प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि मे प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन ही नही है तो प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति कारित होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें। जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने परबहस प्रार्थना पत्र वकील पक्षकारान की सुनी गयी तो वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

प्रार्थीगण की पैतृक कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है जो हिन्दू परिवार के सदस्य है जिससे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते है अप्रार्थीगण के पिता संयुक्त मे रहते हुये सयुक्त परिवार की आय से वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के पिता रामला उर्फ रामू के नाम अलाट करवायी थी तब से ही प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी पर काबिज है, जिससे उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का जन्मजात हित निहित है। अप्रार्थीगण के पिता रामला उर्फ रामू द्वारा 100/– के स्टाम्प पर आपसी समझौता लिखा गया था जिससे अलाटमेन्ट वाली वादग्रस्त आराजी के चारो भाईयो में चारो भाईयो रामू जी में आपस मे बराबर हिस्सो मे बाटना तय हुआ। जिससे प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के पिता रामला के नाम वादग्रस्त आराजी मे से बराबर बराबर के हिस्से दार है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण उक्त लिखावट के आधार पर जन्मजात हित निहित होने से लगातार काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया केश सुविधा का संतुलन व अपूर्तीनीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में भली प्रकार से साबित होने से अप्रार्थीगण को ता. फैसला वाद स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। जवाब बहस में अप्रार्थी के वकील द्वारा प्रार्थी वकील की बहस का खंडन करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि वर्तमान में खसरा नबर 576 रकबा 0.05 है0, 577 रकबा 0.04 है0 भूमि गैर मुमकिन आबादी मे दर्ज है जो पुर्व में कृषि भूमि थी जिसको रामला उर्फ रामू ने अपने जीवनकाल में कृषि भूमि से आवासीय में परिवर्तन करवाकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.05.2019 के द्वारा सत्यनारायण पुत्र दामोदर निवासी गुदलिया की ढाणी शीतला माता को बेचान कर दिया जब से विवादित भूमि पर सत्यनारायण पुत्र दामोदर ही

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जय.)

काबिज काश्त है। रामला उर्फ रामू कभी भी संयुक्त परिवार का सदस्य नही रहा। विवादित आराजी राजस्थान सरकार द्वारा उसके स्वयं के नाम से अलाट की गयी है जो अकेले के स्वामित्व की सम्पति है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार नही है ना ही कभी कब्जा रहा है शुरू से ही रामू ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहा था उसके मरने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ही विक्रय शुदा भूमि के अलावा शेष भूमि पर काबिज व काश्त है। रामू ने अपने जीवनकाल में अलाट शुदा भूमि से भूमि खसरा नंबर 576 व 577 को परिवर्तन कराकर बेचान कर दिया उसको बेचान करने का पूर्ण अधिकार था। उक्त बेचान का शुरू से ही प्रार्थीगण को ज्ञान था एवं उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में स्वंय प्रार्थी संख्या 3 रामअवतार पुत्र किशनलाल बतौर गवाह उपस्थित रहे। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण का किसी प्रकार का हक व हकुक नही है उक्त वादग्रस्त भूमि जब रामू पुत्र छोटू ने अपने जीवनकाल में सत्यनारायण शर्मा को बेचान कर दिया तो प्रार्थीगण का किसी प्रकार का हक हकुक उक्त भूमि में क्लेम नही कर सकते क्योकि उक्त रामू पुत्र छोटू के एकल स्वामित्व की भूमि थी। प्रार्थीगण ने जान बुझकर सत्यनारायण शर्मा को बतौर पक्षकार संयोजित किया है ऐसी सूरत में मिस ज्वाईडंर ऑफ पार्टीज के आधार पर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है जो सरसरी तोर पर खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के सबंध में प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सतुंलन एवं अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में भली प्रकार से साबित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

पक्षकारान वकील की बहस पर गोर किया व प्रस्तुत जमाबन्दी एवं प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र का परीक्षण किया गया तो वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू, जयपुर

भूमि राजस्थान सरकार द्वारा रामला उर्फ रामू के नाम अलाट की गयी थी जो स्वयं रामला उर्फ रामू की एकल स्वामित्व की सम्पति है जिसमें प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के पिता के नाम अलाट शुदा भूमि मे से कोई हक व अधिकारी नही है न ही उक्त प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त रहा। वर्तमान में खसरा नंबर 576 रकबा 0.05 है0 व खसरा नंबर 577 रकबा 0.04 है0 चुकि जमाबन्दी मे गैर मुमकिन आबादी दर्ज है जो कि पुर्व मे कृषि भूमि थी। जिसको रामला उर्फ रामू ने अपने जीवनकाल में कृषि भूमि से आवासीय में परिवर्तित करवाकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.05.2019 के द्वारा सत्यनारायण पुत्र दामोदर निवासी गुदलिया की ढाणी शीतलामाता को बेचान कर दिया तब से ही बेचान शुदा भूमि पर सत्यनारायण पुत्र दामोदर ही काबिज व आबाद है। वादग्रस्त भूमि पर शुरू से ही रामू ही काबिज काश्त रहा था उसके मरने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ही उक्त विक्रय शुदा भूमि के अलावा शेष भूमि पर काबिज व आबाद है। रामू पुत्र छोटू ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि मे से खसरा नंबर 576 व 577 की भूमि को कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तित करवाकर सत्यनारायण पुत्र दामोदर को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.05.2019 को विक्रय कर दिया जिसकी प्रार्थीगण को पूर्ण जानकारी रही है। जब रामू पुत्र छोटू ने अपने जीवनकाल में उक्त जमीन सत्यनारायण को बेचान कर दिया तो प्रार्थीगण किसी प्रकार का हक हकुक उक्त भूमि में क्लेम करने के अधिकारी रही क्योकि रामू पुत्र छोटू के एकल स्वामित्व की भूमि थी, विवादित भूमि पर सदैव से रामू पुत्र छोटू काबिज थे तथा बेचान के पश्चात सत्यनारायण शर्मा काबिज व आबाद हैं प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नही है।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

रामला ने अपने जीवनकाल में तथा कथित रूप से दिनांक 01.04.2007 को कोई आपसी समझोता नही किया ना ही कोई भूमि बटी हुई है, आज भी भूमि पर अप्रार्थीगण व सत्यनारायण शर्मा ही काबिज व आबाद है। अनरजिस्टर्ड व अपर्याप्त स्टाम्पित इकरारनामा से कोई हक व हकुक प्रार्थीगण को नही मिल सकते। प्रार्थीगण ने जान बुझकर सत्यनारायण शर्मा को बतौर पक्षकार संयोजित नही किया ऐसी सूरत में मिस ज्वाईडंर ऑफ पार्टीज के आधार पर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही हे। इस प्रकार विवादित आराजी रामू पुत्र छोटू के एकल स्वामित्व की भूमि थी जो उसे राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गयी थी, जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा शुरू से ही नही रहा ना ही कभी कब्जा काश्त प्रार्थीगण का रहा प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन ही नही है तो प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति कारित होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता जबकि प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण के भली प्रकार से साबित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति साबित होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 31.07.2020 का प्रभाववहीन हो गया है पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)